

# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 80/019

तारीख रजु 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:-प्रार्थी

बनाम

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 खुशिराम पुत्र खैराती                    | } | समस्त जातियान बैरवा निवासीयान मेहदीपुर<br>तहसील टोडाभीम जिला करौली |
| 2 रणजीता पुत्र खैराती                     |   |  |
| 3 नहन्याराम पुत्र खैराती                  |   |  |
| 4 केसर पुत्री खैराती                      |   |  |
| 5 एस. बी.बी. जे हाल एस बी आई शाखा टोडाभीम |   |  |

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 430/532 रकवा 0.15 है0.ग्राम मेहदीपुर तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 5वीघा 5 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाला के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2030 से 33 यह भूमि खैराती पुत्र कजोंडीलाल के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 102 का नवीन खसरा नम्बर 1643/2665 रकवा 0.15 है0बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान का तामिल विधिवत होने पर नियत दिवस को ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही इस प्लीडर उपस्थित आया। कोई जबाव पेश नहीं किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2000 से 2015, 2034 से 37, 2072 से 75 ,मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमाबंदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 5वीघा 5 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाला के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2030 से 30 मे नामान्तकरण संख्या 95 से परिवर्तन होकर अप्रार्थीयान के नाम आराजी खसरा नम्बर 1643/2665 रकवा 0.15 है0 खातेदारी स्वीकृत हुयी थी बारानी ए हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 74 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि **All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly.** माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1643/2665 रकवा 0.15 है0ग्राम मेहदीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।